

राजस्थान सरकार
सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी ३/१, अम्बेइकर भवन, रिविल लाईन रेल्वे क्रोसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ०९(४)(२५)छत्रवृति/पोर्टल/सरली./साच्चातिवि/२०१९/ १५०२७

दिनांक : १५-३-२०१९

आदेश

विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति की विभिन्न योजनाओं यथा : अनु. जाति, अनु. जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमन्तु जाति, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा, अन्य पिछड़ा वर्ग में निम्नानुसार सरलीकरण/संशोधन किए जाते हैं :-

क्र.सं.	वर्तमान प्रावधान	नवीन प्रावधान
1	आय घोषणा पत्र में आय का स्रोत पर चिन्ह (।) अंकित किया जाना।	विद्यार्थी द्वारा आय का घोषणा पत्र में आय का स्रोत पर चिन्ह अंकित नहीं करने की स्थिति में आक्षेप अंकित नहीं किया जावे बशर्ते विद्यार्थी निर्धारित आयसीमा से उपर ना हो।
2	विद्यार्थी द्वारा आय का घोषणा पत्र में दो उत्तरदायी व्यक्तियों के मोबाइल नं अंकित किया जाना।	विद्यार्थी द्वारा आय घोषणा पत्र में दो उत्तरदायी व्यक्तियों के मोबाइल नं अंकित नहीं किए पर आक्षेप अंकित नहीं किया जावे।
3	छात्रवृति स्वीकृत राशि ५०,०००/-रु. से अधिक होने की स्थिति में आय घोषणा पत्र देने वाले व्यक्ति का पेन कार्ड अनिवार्य।	छात्रवृति राशि के ५०,०००/-रु. से अधिक होने की स्थिति में आय का घोषणा पत्र देने वाले व्यक्ति द्वारा पैन नम्बर दिए जाने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है। अतः इस आधार पर आक्षेप नहीं लगावे।
4	छात्रवृति आवेदन पत्र की जांच एवं स्वीकृति हेतु वर्तमान में तीन स्तर क्रमशः (1) शैक्षणिक संस्थान (2) जिला कार्यालय का सूचना सहायक अर्थात् वैरीफायर (3) जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं है।	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाईन अग्रेषण करने के पश्चात् जिला कार्यालय स्तर पर सूचना सहायक/ वैरीफायर को कम करते हुए जिला स्तरीय अधिकारी के स्तर पर ही आवेदनों की जांच/ वैरीफिकेशन का कार्य किया जायेगा।
5	वर्तमान में विद्यार्थी के आवेदन पत्र पर शिक्षण संस्थान/वैरीफायर/ स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा आक्षेप लगाये जाने पर आवेदन आक्षेप पूर्ति हेतु विद्यार्थी की आई.डी. में ऑनलाईन आ जाता है। विद्यार्थी द्वारा आक्षेप पूर्ति किए जाने पर आवेदन पहले ऑनलाईन संबंधित शिक्षण	वैरीफायर/ स्वीकृतकर्ता द्वारा फीस की रसीद तथा अंकतालिका के संबंध में यदि आक्षेप है तो उक्त दोनों प्रकार के आक्षेपों की पूर्ति विद्यार्थी द्वारा की जाकर शिक्षण संस्थान के माध्यम से स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाईन अग्रेषित की जावेगी। स्वीकृतकर्ता अधिकारी उक्त आक्षेपों के

	संस्थान के पास जाता है तत्पश्चात् शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाईन आवेदन लॉक किए जाने पर वह आवेदन वैरीफायर तथा उसके बाद स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर पर प्राप्त होता है।	अतिरिक्त अन्य आक्षेप अंकित होने की स्थिति में आवेदन आक्षेप पूर्ति उपरान्त सीधा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्राप्त होगा
6	शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी को फीस की एकमुश्त रसीद उपलब्ध करवाई जाती है। इस फीस की रसीद में शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी को फीस की मदों की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। फीस की मदों से अनभिज्ञ होने के कारण विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र की फीस मद में गलत राशि अंकित कर दी जाती है। उक्त गलत अंकित राशि के कारण विद्यार्थी के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र आक्षेपित हो जाता है।	(अ) छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में फीस के कॉलम में विद्यार्थी से केवल फीस की रसीद अपलोड करवाई जाएगी। (ब) विद्यार्थी के ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में फीस की मदवार जमा राशि का विवरण तथा वार्तविक राशि की अण्डरटेकिंग संबंधित शिक्षण संस्थान से प्राप्त एवं अनुशंसित करने का प्रावधान किया जाता है।
7	विद्यार्थी के आवेदन पत्र में बार-बार आक्षेप लगाया जाने की प्रवृत्ति।	विद्यार्थी के आवेदन पत्र की प्रारम्भ में ही भलीभांति जांच की जावे। छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध आक्षेप सूची में से आवेदन पत्र में लगने वाले आक्षेप एक ही बार में अंकित किये जावे। अनावश्यक विलम्ब को रोकने की दृष्टि से जिला कार्यालय को दोबारा आक्षेप लगाने की सुविधा पोर्टल पर नहीं होगी।
8	आवेदक की 50000/-रु. से अधिक राशि की छात्रवृत्ति स्वीकृति किए जाने की स्थिति में भौतिक सत्यापन की अनिवार्यता।	आवेदक की 50000/-रु. से अधिक राशि की छात्रवृत्ति स्वीकृति किए जाने की स्थिति में भौतिक सत्यापन आवश्यक नहीं होगा।
9	छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों के वैरीफिकेशन, स्वीकृति एवं भुगतान की समयसीमा का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :- 1. शैक्षणिक संस्थान द्वारा जांच एवं अग्रेषण :- अधिकतम तीन सप्ताह प्रथम अलर्ट (SMS)- दो सप्ताह पश्चात् द्वितीय अलर्ट (SMS)- तीन दिवस पूर्व उक्त अवधि में अग्रेषण नहीं करने पर आवेदन पत्र स्वतः अग्रेषित हो जायेगा। इसे विभाग द्वारा डिम्ड एप्लूड मानकर छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी जावेगी एवं गलत भुगतान होने की स्थिति में संबंधित शिक्षण संस्थान का नोडल अधिकारी उत्तरदायी होगा। 2. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अधिकतम तीन सप्ताह में स्वीकृति प्रथम अलर्ट (SMS)- दो सप्ताह पश्चात्	छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों के वैरीफिकेशन, स्वीकृति एवं भुगतान की समयसीमा का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :- 1. शैक्षणिक संस्थान द्वारा जांच एवं अग्रेषण :- अधिकतम तीन सप्ताह प्रथम अलर्ट (SMS)- दो सप्ताह पश्चात् द्वितीय अलर्ट (SMS)- तीन दिवस पूर्व उक्त अवधि में अग्रेषण नहीं करने पर आवेदन पत्र स्वतः अग्रेषित हो जायेगा। इसे विभाग द्वारा डिम्ड एप्लूड मानकर छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी जावेगी एवं गलत भुगतान होने की स्थिति में संबंधित शिक्षण संस्थान का नोडल अधिकारी उत्तरदायी होगा। 2. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अधिकतम तीन सप्ताह में स्वीकृति प्रथम अलर्ट (SMS)- दो सप्ताह पश्चात्

द्वितीय अलर्ट (SMS)- तीन दिवस पूर्व उक्त अवधि में स्वीकृत नहीं करने पर आवेदन पत्र स्वतः स्वीकृत हो जायेगा इसे डिम्ड एप्रूल मानकर भुगतान कर दिया जावेगा। गलत भुगतान होने की संभिति में संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होगा।

3. स्वीकृत आवेदन पत्रों का बिल बनाना :-
अधिकतम दस दिवस

प्रथम अलर्ट (SMS)- एक सप्ताह पश्चात्
द्वितीय अलर्ट (SMS)- दो दिवस पूर्व

यदि बिल निर्धारित अवधि में बनाकर भुगतान हेतु कोषागार नहीं भिजवाया गया तो आयुक्तालय के छात्रवृत्ति अनुभाग में सूचना प्राप्त हो जाएगी तथा संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी को पोर्टल से कारण बताओ नोटिस बन जाएगा। आयुक्तालय से अनुमति दी जाने पर ही स्वीकृतकर्ता अधिकारी उस बिल को पुनः बना सकेगा।

आक्षेप पूर्ति पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों को शिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को अग्रेषण :- अधिकतम दो सप्ताह

उक्त अवधि में अग्रेषण नहीं करने पर आवेदन पत्र स्वतः अग्रेषित हो जायेगा जिसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य एवं बोडल अधिकारी का होगा।

आक्षेप पूर्ति पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृति:-
अधिकतम दो सप्ताह

उक्त अवधि में स्वीकृत नहीं करने पर आवेदन पत्र स्वतः स्वीकृत हो जायेगा तथा उत्तरदायित्व संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी का होगा।

उक्त प्रावधान शैक्षणिक सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के अब तक स्वीकृति के अभाव में शेष आवेदनों एवं 2018-19 के आवेदनों पर लागू होंगे।
यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(लेख)
(सांचर मल वुमी) ३१।
~~आयुक्त~~

क्रमांक : एफ९(4)(25)छात्रवृत्ति/पोर्टल/सरली./सान्ध्याअधि/2019/15028-200 दिनांक : 15-3-2019

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सचिवालय जयपुर
4. निजी सचिव, सचिव, सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार/श्रम एवं नियोजन/उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल, जयपुर
6. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा / संस्कृत, बीकानेर / जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा / निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग जोधपुर
9. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. राजस्थान
10. वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर।
11. जिला कलेक्टर / कोषाधिकारी (समस्त)
12. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
14. रजिस्ट्रार / डीन / निदेशक / प्रशासक, राजकीय / निजी विश्वविद्यालय / बोर्ड / काउंसिल, (समस्त).....
15. प्रबन्ध निदेशक / रजिस्ट्रार / निदेशक, (राज्य से बाहर की राजकीय / एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थान).....
16. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) / संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....
17. प्राचार्य राजकीय मेडिकल / स्नातकोत्तर / स्नातक महाविद्यालय समस्त.....
18. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालय / राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय / राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....
19. अधीक्षक राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....
20. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएँ.....
21. सिस्टम एनालिस्ट, मुख्यावास को पोर्टल पर उपरोक्तानुसार प्रावधान करवाने, बेवसाइड पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
22. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु
23. प्रभारी अधिकारी (समस्त) निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
24. उप निदेशक / सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समस्त). को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आपके जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
25. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)